**न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।**

प्रकीर्ण वाद संख्या–168 सन 2026

वंश कुमार बनाम अमित कुमार।
अं.धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

**दिनांक–12.08.2026**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मेरे चाचा लोकेश कुमार सैनी पुत्र गरीब सिंह निवासी ग्राम असदपुर करंजाली मे दिनांक 18.11.2025 को अपनी पत्नी सरिता का बीमा अमित कुमार पुत्र रामवीर निवासी ग्राम टिपरा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर से कराया था। दिनांक 24.12.2025 को मेरी चाची सरिता को अत्यधिक बुखार होने के कारण उनका निधन हो गया था जिसके बीमे के क्लेम के पैसे निकालने के लिए मेरे चाचा ने विपक्षी अमित से सम्पर्क किया था जिस पर विपक्षी अमित फरवरी में मेरे चाचा से बीमे का बाण्ड, मृतक सरिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व चाचा की पासबुक लेकर चला गया था तथा उसके बाद मेरे चाचा लीवर की बीमारी से पीड़ित होने के कारण बोलने, चलने–फिरने से असमर्थ हो गये थे जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी अमित ने अपने विश्वास में लेते हुए मेरे चाचा से कहा कि तुम्हारे मोबाईल नम्बर पर बीमा कम्पनी के अधिकारी का फोन आयेगा और तुम उनसे बात नहीं कर पाओगे इसलिए अपना सिम मुझे दे दो जिस पर विश्वास कर प्रार्थी के चाचा ने अपना सिम नम्बर 9639723665 विपक्षी को दे दिया था तथा उसके बाद दिनांक 18.03.2026 को प्रार्थी का चाचा का दुर्भाग्यवश निधन हो गया जिसके बाद विपक्षी अमित से बीमे की बात की तो उसने कहा कि अप्रैल के लास्ट में बीमे के पैसे आ जायेंगे और विपक्षी अमित दिनांक 28.03.2026 को हमे उक्त सिम वापस दे गया तथा उसके बाद विपक्षी अमित ने हमसे कोई बात नहीं की तथा उसने अपना नम्बर बंद कर रखा है तथा उसके बाद काफी प्रयास के बाद भी जब विपक्षी अमित से सम्पर्क नहीं हुआ तो प्रार्थी व प्रार्थी के दादाजी यू०बी०आई० बैंक देवबन्द में गया और अपने चाचा का अकांउट स्टेटमेंट निकलवायी तो पता चला कि अमित ने प्रार्थी के चाचा के अकांउट का ए०टी०एम० चलाकर प्रार्थी के चाचा के मरने के बाद उनके अकांउट से बीमे के 2,00,500/–रू० धोखाधड़ी कर निकाल लिये है। हमे उक्त बात पता चलने पर अत्यधिक आश्चर्य हुआ। इस प्रकार उक्त विपक्षी अमित ने स्वंय नफा नाजायज कमाने व प्रार्थी को नुकसान नाजायज पहुंचाने की गर्ज से हमारे साथ लालचवश छल करने की नियत से धोखाधड़ी करते हुए हमारे 2,00,500/–रू0 हड़प कर लिये है। विपक्षी अमित से इस बाबत बात की तो उसने हमारे 2,00,500/–रू० देने से मना कर दिया और कहा कि यदि कोई कार्यवाही की तो जान से मार दूंगा।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, एक किता प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मय डाक रसीद, एक किता शिकायतकर्ता प्राप्ती रसीद, एक किता बैंक स्टेटमेंट यूनियन बैंक, एक किता बीमा रसीद, एक किता आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से विदित होता है आवेदक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी के चाचा ने अपनी पत्नि सरिता का बीमा विपक्षी अमित कुमार से करबाया था। प्रार्थी की चाची सरिता का बुखार के कारण दिनांक– 24.12.2025 को निधन हो चुका है। प्रार्थी के चाचा ने बीमे के क्लेम के लिये विपक्षी अमित कुमार से सम्पर्क किया था। जिस पर विपक्षी अमित फरवरी में मेरे चाचा से बीमे का बाण्ड, मृतक सरिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व चाचा की पासबुक लेकर चला गया था तथा उसके बाद मेरे चाचा लीवर की बीमारी से पीड़ित होने के कारण बोलने, चलने–फिरने से असमर्थ हो गये थे। विपक्षी अमित कुमार ने इसी बात का नाजायज फायदा उठाया। विपक्षी अमित प्रार्थी के चाचा लोकेश कुमार

सैनी का सिम ले गया था। उसके उपरान्त प्रार्थी के चाचा का दिनांक– 18.03.2026 को दुर्भाग्यवश निधन हो गया। विपक्षी अमित कुमार ने प्रार्थी के चाचा के निधन के बाद धोखाधड़ी करके मु0– 2,00,500/– रूपये निकाल लिये। प्रार्थी ने विपक्षी पर छलकपट से पैसा हड़प करने का आरोप लगया है। उक्त प्रकरण पैसो के लेनदेन से संबंधित है। इस सम्बन्ध में थाने से प्राप्त आख्यानुसार थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया है उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में मामले को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर कर न्याय के उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति नहीं हो सकेगी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में जिस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया है, उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया ही संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रदर्शित करते हैं तथा समस्त तथ्य ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में सम्यक विवेचना कराया जाना ही न्यायोचित होगा।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था *फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित 19–03–2015 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ.प्र.राज्य एवं अन्य विनिर्णय रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50 एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित विनिर्णय सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 472* में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं प्रस्तुत मामलों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले के सत्य के अन्वेषण हेतु विवेचना कराया जाना न्यायोचित होगा, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

**आदेश**

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित थानाध्यक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय प्रेषित करें। आदेश की प्रति सम्बन्धित लिपिक सम्बन्धित थाने को अविलम्ब प्रेषित करें।

**(आशीषानन्द)**
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर।
जे.ओ.कोड यू.पी. 3698